न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नांवा (नागौर) राज.

पीठासीन अधिकारी :– श्री एस.एम.शाह, आर.ए.एस.

वादी :– बनाम प्रतिवादीगण :–

सन्तोष गोयल पुत्र रामवतार गोयल
जाति महाजन सा. गांगीधाम (गुजरात)

1. विश्वनाथ पुत्र प्रमेश्वरलाल शाह
2. प्रदीप शाह पुत्र प्रमेश्वरलाल शाह
जाति महाजन सा. भवानीपुरा –कलकता
3. गोपाललाल पुत्र रामवतार मोदी
महाजन सा. नांवा तह. नांवा
4. तहसीलदार नांवा

दावा बाबत :– खातेदारी अधिकारो की घोषणा व बंटवारा।
उपस्थित :– श्री राजेश गुर्जर वकील वादी
श्री कुन्जबिहारी शर्मा प्रतिवादी 4 स्वंय

मुकदमां नम्बर :– 45/2016 निर्णय दिनांक :– 11.02.2017

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि ग्राम गोविन्दी के खसरा नम्बर 353, 354 कुल रकबा 2.49 हैक्टयर स्थित हैं उक्त भूमि में तत्कालिन खातेदार पंकज द्विवेदी पुत्र प्रकाश नारायण द्विवेदी की 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार था जिसका सम्पूर्ण हिस्सा जरिये विक्रय पत्र के बैचान करने पर नामान्तकरण संख्या 560 दिनांक 23.09.2013 को वादी के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड हुई हैं उपरोक्त भूमि का तत्कालिन खातेदारो में भौतिक रूप से बंटवारा हो रखा था जिसके मुताबिक मौके पर काबिज काश्त थे जिसमें से 1/2 हिस्सा तत्कालिन खातेदार ने वादी को कब्जा सुपुर्द किया वहां पर वादी खरीद के दिन से काबिज काश्त चला आ रहा हैं लेकिन उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में संयुक्त दर्ज रिकार्ड हैं वादी ने प्रतिवादी से सम्पर्क कर बंटवारा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड करवाने की कहां तो इतने दिन उनके द्वारा आश्वासन दिया एवं अब साफ इंकार कर दिया जिससे मजबुरन वादी को यह वाद लाना आवश्यक हो गया था। वादी ने वाद पेश कर ग्राम गोविन्दी के खसरा नम्बर 353, 354 कुल रकबा 2.49 हैक्टयर में अपनी खातेदारी सुदा 1/2 हिस्से का बंटवारा कर अलग होल्डिंग कायम करने की इस्तदुआ की है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को 1 से 3 को सम्मन रजिस्टर्ड एडी से भिवाऐ जाने के बावजूद अनुपस्थित रहे जिससे प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी 4 स्वंय उपस्थित जवाब पेश नही करना चाहे जाने पर जवाब बन्द किया जाकर साक्ष्य वादी में वादी के जरिये आम मुखत्यार गौरव शा पुत्र अशोक कुमार सा. योगेश निवास, रमेश्वरधाम कॉलोनी मुरलीपुरा जयपुर का शपथ पत्र व गवाह गणेशराम, भैरूराम के शपथ पत्र पेश किऐ ओर साक्ष्य पेश नहीं

11/2/17
अधिकारी

करने पर साक्ष्य बन्द की जाकर उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत जमाबन्दी का अवलोकन किया गया बहस पर मनन किया गया।

उपरोक्त विवेचन के अनुसा वादी द्वारा वाद के साथ प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत 2069–72 के अनुसार ग्राम गोविन्दी के खसरा नम्बर 353, 354 रकबा 2.49 हैक्टयर भूमि पंकज द्विवेदी पुत्र प्रकाशनारायण द्विवेदी 1/2 हिस्सा, विश्वनाथ शाह पुत्र प्रेश्वरलाल शा, प्रदीप शाह पुत्र प्रमेश्वरलाल शाह, जाति महाजन,गोपाललाल पुत्र रामअवतार मोदी जाति महाजन के नाम दर्ज रिकार्ड हैं जिसमें खातेदार पंकज द्विवेदी पुत्र प्रकाशनारायण द्विवेदी 1/2 के द्वारा अपना सम्पूग्र हक हिस्सा बैचान करने पर उसके स्थान पर जरिये नामान्तकरण 560 दिनांक 23.09.2013 के द्वारा वादी को खातेदार दर्ज रिकार्ड किया गया है, रिकार्ड के मुताबिक वादी 1/2 हिस्से का तथा प्रतिवादी 1 से 3 संयुक्त रूप से 1/2 हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड हैं। जिसमें वादी अपने हक हिस्से की 1/2 भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड बंटवारा करवा कर अलग होल्डिंग कायम करवाना चाहता हैं, वादी रिकार्डेड खातेदार काश्तकार हैं जिसको अपने हक हिस्से की भूमि का बंटवारा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड करवाने का पूर्ण अधिकार है, जिसमें प्रतिवादीगण ने बावजूद सम्मन तामील के किसी प्रकार का कोई एतराज या उज्र पेश नहीं किया हैं। जिससे वादी का वाद साबित होता है।

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर इस प्रकार से डिक्री किया जाता हैं कि ग्राम गोविन्दी के खसरा नम्बर 353, 354 रकबा 2.49 हैक्टयर भूमि में मौके पर कब्जे काश्त के अनुसार वादी के 1/2 हिस्से की होल्डिंग अलग कायम करते हुऐ नक्शा ट्रेस में तरमीम की जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। नियमानुसार स्टाम्प डुयुटी पेश होने पर डिक्री पर्चा जारी हो।

यह आदेश आज दिनांक 11.02.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Sd/- 11/2/17
(एस.एम.शाह)
उपखण्ड अधिकारी, नांवा
उपखण्ड अधिकारी, नांवा (नागौर)